

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
प्रथम एवं द्वितीय तल, सी0जी0ओ0 परिसर,
लांगवुड, शिमला-171001
वर्तमान पता: एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड,
देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - mocf.ddn@gov.in



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE ,
SHIMLA
FIRST & SECOND FLOOR, C.G.O
COMPLEX
LONGWOOD, SHIMLA-171001
PRESENT ADDRESS: INTEGRATED REGIONAL
OFFICE,
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- mocf.ddn@gov.in

पत्र सं0. 8बी/एच.पी./09/63/2021/एफ.सी.117

दिनांक: 29/06/2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
आसर्मडेल बिल्डिंग, शिमला।

विषय : Diversion of 0.03621 ha of forest land in favour of Shimla Jal Parbandhan Nigam Limited, US Club, Forest road Shimla, HP, for the construction of rain Harvesting Water Tank at Jakhu, within the jurisdiction of Shimla (MC) Forest Division, Distt. Shimla, H.P. (online no. FP/HP/Water/45586/2020)

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48-5042/2020 (एफ.सी.ए.) दिनांक 01.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण पर अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **Diversion of 0.03621 ha of forest land in favour of Shimla Jal Parbandhan Nigam Limited, US Club, Forest road Shimla, HP, for the construction of rain Harvesting Water Tank at Jakhu, within the jurisdiction of Shimla (MC) Forest Division, Distt. Shimla, H.P.** हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 100 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.07242 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।
ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं geo coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी।

प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य

- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.03621** हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहाँ भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर हरयाली को बनाये रखने के लिए वचनबद्धता प्रस्तुत किया जाएगा।
7. राज्य सरकार एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र सभी प्रपत्रों के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।
8. राज्य सरकार सी.डब्ल्यू०एल०डब्ल्यू (CWLW) की टिप्पणी इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र शिमला जलसंग्रहण अभयारण्य के 10 कि०मी० के भीतर है।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा **I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995** में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
12. आसपास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
13. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
14. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
16. वन भूमि एवं आस-पास पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
18. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearing & GPS Coordinates अंकित हों।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीया,



(मीरा अच्यर)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. डी०एफ०ओ० शिमला, शिमला वन प्रभाग, जिला शिमला, हि०प्र०।
4. आदेश पत्रावली।



(मीरा अच्यर)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

.....